


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कार्मिक का नाम मय वर्तमान पदस्थापन	व्याख्याता विषय	अवधि	स्थान जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
01	सुश्री भारती जैन व्या० राबाउमावि बहादुरपुर – अलवर	इतिहास	22 जुलाई-15 अक्टूबर 15 तक	राबाउमावि बहादुरपुर – अलवर व्या० वाणिज्य के रिक्त पद के विरुद्ध
			नवम्बर 2015 से अप्रैल 2016 तक	राबाउमावि बहादुरपुर – अलवर व्या० राजनीति विज्ञान के रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्र.सं.: शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन व्यवस्था/2015

दिनांक 12/5/16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान
5. सम्बन्धित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर